आवश्यक

पंचायत आम चुनाव, 2021

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्रांक - पं.नि.30-25/2020 – 1506

प्रेषक,

योगेन्द्र राम

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक – 11.12.2020

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 – मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 19 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पंचायत निकायों के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची की तैयारी का दायित्व सौंपा गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-126 में प्रावधान है कि ``राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक सूची या सूचियों का उतना भाग जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, में जिन व्यक्तियों का नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे वे सभी व्यक्ति पंचायत निर्वाचन में मतदाता होंगे।'' राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये प्रवृत्त मतदाता सूची पहली जनवरी 2020 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की गयी है। इसी मतदाता सूची के आधार पर अधिनियम की धारा-126 के प्रावधानों के अधीन पंचायत निकायों के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची तैयार करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निदेश निर्गत किए जा रहे हैं :-

1. **मतदाता सूची से सम्बन्धित वैधानिक उपबंध** – बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 126 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के अध्याय - 4 के नियम 19 से 25 के अन्तर्गत मतदाता सूची की परिभाषा, तैयारी एवं प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु उनके अवतरण नीचे उद्धृत हैं :-

> ``धारा 126 पंचायत के मतदाता – राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक सूची या सूचियों का उतना भाग, जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित है, में जिन व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे, वे सभी व्यक्ति संबंधित पंचायत निर्वाचन में मतदाता होंगे;
>
> परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यदि इस राय का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो पंचायत के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचक सूची में ऐसा परिवर्त्तन करने का निदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे;

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

परन्तु यह और कि अधिनियम की धारा 124 के अधीन राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना किये जाने के पश्चात निर्वाचक सूची में ऐसा कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।''

नियम 19. मतदाता सूची की तैयारी – अधिनियम एवं इस नियमावली के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाताओं की सूची तैयार की जायेगी।

20. जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पदाधिकारी/कर्मचारी की सहायता लेना – जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची की तैयारी हेतु जिलान्तर्गत पदस्थापित तथा अन्य स्थानों से उपलब्ध कराये गये ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता ले सकेगा जो राज्य सरकार के कार्यालयों, राज्य के लोक उपक्रमों तथा राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले संस्थानों में पदस्थापित हों।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी इस हेतु केन्द्र सरकार के केन्द्रीय कार्यालय या लोक उपक्रमों या केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता भी वैसे कार्यालयों/उपक्रमों / संस्थानों के सक्षम पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर ले सकेगा।

21. मतदाता सूची का प्ररूप – (1) अधिनियम की धारा 126 के अध्यधीन ग्राम पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची प्रपत्र 4 (संलग्न) में तैयार की जायेगी। इस तरह बनी मतदाता सूचियों के योग से ही, जैसा संदर्भ हो, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची बनेगी।

22. मतदाता सूची का प्रकाशन – राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम (संलग्न) के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एवं निर्वाचन क्षेत्र एवं क्षेत्रों की तैयार की गयी मतदाता सूची को निम्नलिखित स्थानों पर चौदह दिनों तक प्रकाशित किया जायेगा, यथा–

ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र	– सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में।
ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र	– सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में।
पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र	– सम्बन्धित प्रखण्ड के कार्यालय में।
जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र	– सम्बन्धित प्रखण्ड कार्यालय एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में।

23. मतदाता सूची में संशोधन – नियम 21 के अधीन बनायी गयी और नियम 22 के अधीन प्रकाशित की गई मतदाता सूची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में, नियम 22 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर लिखित आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, किसी त्रुटि का निवारण कर सकेगा और तदनुरूप मतदाता सूची संशोधित की जा सकेगी।

24. मतदाता सूची की प्राप्ति – आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति जिला दंडाधिकारी अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकेगा।

25. मतदाता सूची का संरक्षण – जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की प्रति अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जायेगी।''

116. आयोग द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत करने की शक्ति – आयोग इस नियमावली के प्रावधानों के अध्यधीन आवश्यक अनुदेश निर्गत कर सकेगा।

2. **पंचायत मतदाता सूची का स्वरूप** – नियमावली के अनुरूप ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार (वार्डवार) मतदाता सूची तैयार की जाएगी। अधिनियम की धारा 126 के अनुरूप वर्त्तमान में प्रवृत्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जिन व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे वे सभी व्यक्ति उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होंगे।

3. **त्रिस्तरीय पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के लिए सामान्य मतदाता सूची** – चूंकि ग्राम पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची तैयार की जाएगी, ऐसी स्थिति में इसी मतदाता सूची से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची उनके सीमा विस्तार के अनुसार तैयार की जाएगी। ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच का निर्वाचन भी पंचायत के लिए तैयार मतदाता सूची से इनके सीमा विस्तार के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी।

4. **मतदाता की अर्हताएँ** – 1 जनवरी, 2020 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रवृत्त मतदाता सूची में अंकित मतदाता पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के मतदाता बनने हेतु अर्हत होंगे। उक्त मतदाता सूची में अंकित जिन मतदाताओं ने किसी कारणवश (जैसे - मृत्यु, क्षेत्र के निवासी न रहने के कारण आदि) अर्हता खो दी हो, ऐसे मतदाताओं के नाम पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु बनाई जा रही मतदाता सूची में अंकित नहीं किए जाएंगे।

5. **मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रारूप प्रकाशन** – किसी भी निर्वाचन का निर्वाचक सूची मुख्य सतम्भ होता है। इसके पूर्णतः त्रुटिरहित तैयार करना आयोग की प्राथमिकता है। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची फोटोयुक्त मतदाता सूची है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 126 के अधीन परिभाषित ``निर्वाचक'' के अनुसार मतदाता सूची पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के अध्याय-4 नियम 19 से 23 के निर्देशन में तैयार किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग की तैयार निर्वाचक सूची को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची के रूप में प्रपत्र-क में प्रथम प्रक्रम में तैयारी कर प्रपत्र-4/फोटोयुक्त निर्वाचक सूची, द्वितीय प्रक्रम में (सॉफ्टवेयर के माध्यम से) तैयार की जायेगी। इस प्रकार से तैयार निर्वाचक सूची पूर्ण होगी। विखंडन कार्य को सुगम एवं सटीक बनाने हेतु आयोग द्वारा इस पत्र के साथ **प्रपत्र -क** संलग्न किया गया है। इस कार्य में संलग्न पंचायत सेवक/सचिव प्रपत्र-क में सूचना संधारित कर प्रारूप प्रकाशन की अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत होने पर यह कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी या अन्य समकक्ष पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में पंचायत सेवक/सचिव एवं आवश्यकतानुसार पंचायत/प्रखंड स्तर के कर्मचारियों द्वारा सन्पन्न कराया जाए और इस कार्य के सम्यक निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षकों को भी पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। इस कार्य हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची की पर्याप्त संख्या में प्रतियाँ शीघ्र उपलब्ध करा दी जाए ताकि विखंडन का कार्य ससमय पूर्ण किया जा सके। विखंडन करते समय उस पंचायत की सम्पूर्ण मतदाता सूची रखी जाय तथा पंचायत के निर्धारित वार्ड की चौहद्दी भी जो मतदाता सूची के विखंडन में सहायक होगी। अब वार्डवार विखंडन के क्रम में वार्ड की चौहद्दी के अन्तर्गत पड़ने वाले एक-एक निर्वाचक का परिवार-वार जाँचकर उसके संख्यात्मक क्रमांक को `प्रपत्र - क' में अंकित किया जाय। साथ ही `प्रपत्र - क' में सभी सूचनाएँ अवश्य अंकित करायी जाए, जिसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची के विखंडन के समय अंकित करना आवश्यक है। यह कार्य पंचायत क्षेत्र के सम्पूर्ण जानकार/कर्मियों/प्रतिनिधि की मदद से सम्पन्न होगा। तैयार प्रपत्र-क के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार फोटोयुक्त/फोटो रहित मतदाता सूची तैयार कर नियम 22 में अंकित निर्दिष्ट स्थानों पर उसका

प्रकाशन अधिसूचित कार्यक्रम में अंकित तिथि को कर दिया जाय। प्रकाशन की सूचना का व्यापक प्रचार करने का प्रबंध किया जाए। बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 22 के अनुसार मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नलिखित स्थानों पर किया जाना है :-

(क) ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र – संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में।
(ख) ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र – संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखण्ड कार्यालय में।
(ग) पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र– संबंधित प्रखण्ड कार्यालय में।
(घ) जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र – संबंधित प्रखंड कार्यालय एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में।

साथ ही उक्त मतदाता सूची की प्रतियाँ मुद्रण के लिए भी भेज दी जाएं ताकि समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार पर्याप्त प्रतियों (पंचायत-2 प्रति, प्रखंड-2 प्रति, जिला परिषद-2 प्रति, जिला पंचायत कार्यालय-2 प्रति, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-2 प्रति, आकस्मिकता हेतु-2 प्रति कुल - 12 प्रति) में मतदाता सूची का मुद्रण हो सके।

6. **प्रेक्षक की नियुक्ति** – जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) प्रत्येक प्रखंड में मतदाता सूची तैयारी के सम्यक पर्यवेक्षण हेतु जिला से उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंचायत निर्वाचक सूची, 2021 के लिए प्रपत्र-क का निर्माण, इसके अनुसार सॉफ्टवेयर की सहायता से निर्वाचकों प्रविष्टि के साथ-साथ आपत्तियों का निष्पादन की समीक्षा, ससमय उसका निष्पादन सुनिश्चित करेंगे एवं जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे। नियुक्त प्रेक्षक मतदाता सूची की तैयारी में कोताही बरतने वाले पदाधिकारी/कर्मी के संबंध में अविलम्ब जिला पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

7. नवगठित क्षेत्रों का जिला गजट में प्रकाशन – सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन यदि कोई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नवगठित हुआ हो तो पंचायत आम निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व नवगठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (तीनों स्तर) को जिला गजट में अधिसूचित कर दिया जाना बैधानिक रूप से आवश्यक है। इसमें चूक होने पर आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा।

8. **प्रारूप प्रकाशन की अवधि** – उपर्युक्त विधि से प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची संलग्न कार्यक्रम के अनुसार 14 (चौदह) दिनों तक प्रकाशन में रहेगी। इस अवधि में मतदाता सूची में संशोधन हेतु दावे एवं आपत्तियाँ संलग्न प्रपत्रों में प्राप्त की जाएगी। पर्याप्त मात्रा में संलग्न प्रपत्रों का मुद्रण/छायाप्रति कर प्रखंड/पंचायत कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाए ताकि आपत्तिकर्त्ता उक्त प्रपत्र प्राप्त कर आपत्ति-पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष दाखिल कर सके। आवश्यकतानुसार प्रपत्र की छाया प्रति व्यवहार में लायी जा सकती है। आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए कार्यालय अवधि में विहित पदाधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और आपत्तिकर्त्ता को प्राप्ति रसीद अवश्य दी जाए।

9. (1) **प्रारूप-प्रकाशन का व्यापक प्रचार** – प्रारूप प्रकाशन के व्यापक प्रचार की व्यवस्था की जाए। जिन स्थानों में साप्ताहिक हाट बाजार लगते हों वहाँ ढोल पीटकर निम्नांकित सूचनाओं का प्रचार कराया जाए-

(क) प्रकाशन की तिथि,
(ख) स्थानों का नाम, जहाँ निरीक्षण हेतु निर्वाचक सूची रखी गई है,
(ग) दावे एवं आपत्ति देने की अंतिम तिथि,

(घ) प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी को दावा एवं आपत्ति संबंधी आवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में दिया जाना है,

(ङ) दावे, आपत्ति एवं प्रविष्टि की शुद्धि संबंधी प्रपत्र के बारे में सूचना,

(2) प्रारूप प्रकाशन एवं इसके प्रचार संबंधी कार्रवाई से संबंधित एक प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रारूप प्रकाशन की तिथि के तुरंत बाद भेजा जाए।

10. दावे एवं आपत्तियाँ किस आधार पर दी जायेंगी – दावे एवं आपत्तियाँ निम्न आधार पर ही दी जा सकेंगी –

(1) विधान सभा की मतदाता सूची में नाम है, किन्तु विखंडन के पश्चात तैयार की गई पंचायत की मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है।

(2) विखंडन में त्रुटियों के कारण एक ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता का नाम उसी ग्राम पंचायत के दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में अंकित हो गया हो।

(3) विधान सभा की मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है किन्तु वार्डवार विखंडन के समय या मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन के समय पंचायत की मतदाता सूची में स्वतः नाम जोड़ दिया गया है।

(4) मतदाता सूची में मृत व्यक्ति का नाम अंकित है।

(5) मुद्रण की भूल के कारण निर्वाचक अथवा उसके पिता/पति/लिंग/उम्र/फोटो आदि में कतिपय संशोधन की आवश्यकता है।

(6) 01.01.2021 को अठारह वर्ष की आयु पुरी हो रही हो तथा मतदाता बनने की योग्यता रखते हों

(7) क्षेत्र विशेष का मतदाता बनने की योग्यता रखते हों, किन्तु उनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

अधिनियम की धारा-126 के प्रथम परन्तुक के आलोक में राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा विशिष्ट आदेश दिये जाने पर ही पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु तैयार की जा रही मतदाता सूची में वैसे व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम जोड़ा जा सकेगा जिनका नाम तत्समय प्रवृत्त विधान सभा के लिए तैयार मतदाता सूची में नहीं है। सक्षम आदेश प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रवृत्त मतदाता सूची के आधार पर पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु तैयार की जा रही मतदाता सूची में किसी नये व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जायेगा। उक्त कंडिका 10 (1), (2), (3), (4) एवं (5) के लिए आयोग के आदेश की आवश्यकता नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होंगे। उक्त कंडिका 10 (6) एवं (7) के लिए आयोग के आदेश की आवश्यकता होगी।

11. (1) प्रारूप प्रकाशन की अवधि में दिए गये दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन – नियम-23 के अधीन मतदाता सूची संशोधन संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाना है। उक्त नियम के तहत कार्रवाई हेतु प्राप्त दावे/आपत्तियों का निष्पादन संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के प्राधिकृत पदाधिकारी करेंगे। दावा/आपत्तियों के निष्पादन में किसी निर्वाचक के नामों का विलोपन प्रपत्र-ख में आवेदन प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। किसी भी निर्वाचक के नाम विलोपन के पूर्व संबंधित निर्वाचक को इस आशय की बावत सूचना (नोटिश) देनी होगी कि मतदाता सूची में नाम विलोपित किये जाने के लिए आक्षेप प्राप्त हुआ है, जिसकी सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। नोटिस तामिला की प्राप्ति रसीद निश्चित रूप से संधारित किया जाना है। प्रस्तावित पंचायत चुनावों के आलोक में स्वार्थी तत्वों द्वारा सही मतदाताओं का नाम हटाने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि निर्वाचकों के नामों के विलोपन का अनुमोदन संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के अनुमोदन के पश्चात ही किया

जाय।

परन्तु नियम-23 में स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में किसी त्रुटि का निवारण करने का जो प्रावधान है, इसका उपयोग सिर्फ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की हैसियत से स्वयं करेंगे।

(2) प्राप्त दावा/ आपत्तियों के निष्पादन का नोटिश तामिला एवं अभिलेख की तैयारी अवश्य की जाय।

12. **दावे एवं आपत्ति के निष्पादन के बाद अनुपूरक सूची की तैयारी** – दावे एवं आपत्तियों के निष्पादन के बाद स्वीकृत मामलों के लिए इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अनुपूरक सूची का प्रारूप तैयार कराकर आवश्यकतानुसार पर्याप्त प्रतियाँ मुद्रित करा ली जाए।

13. **मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन** – संलग्न कार्यक्रम के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिस तिथि को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा, उसी तिथि से मतदाता सूची प्रभावी मानी जाएगी। जिन-जिन केन्द्रों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है, उन-उन केन्द्रों पर अंतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची को सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाए।

14. **मतदाता सूची के खोने या नष्ट होने के विरूद्ध सुरक्षात्मक कार्रवाई** – मतदाता सूची के प्रारूप एवं अंतिम प्रकाशन के सभी केन्द्रों पर किसी जिम्मेवार कर्मचारी को यथा स्थिति प्रारूप अथवा अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची का प्रभारी बनाया जाए। कार्य दिवस को कार्यावधि में वे वहाँ पर अवश्य उपस्थित रहें, जहाँ मतदाता सूची आम निरीक्षण हेतु रखी गई है। प्रभारी को यह देखना है कि मतदाता सूची न तो खो जाए और न ही नष्ट हो, जिससे कि प्रकाशन की अवधि में आम जनता के निरीक्षण हेतु मतदाता सूची उपलब्ध रहे। कार्यालय काल के बाद मतदाता सूची को सुरक्षित रूप से रखा जाय ताकि उसके खो जाने या नष्ट होने की गुंजाईश न हो।

15. **मतदाता सूची का मुद्रण** –विधान सभा की वर्तमान मतदाता सूची फोटोयुक्त है। राज्य निर्वाचन आयोग का निदेश है कि फोटोयुक्त मतदाता सूची सिर्फ प्रारूप प्रकाशन, मतदान केन्द्रों पर उपयोग, प्रखंड एवं जिला में संधारण हेतु बनेगी। प्रत्याशियों एवं अन्य के प्रयोग हेतु बिना फोटो की मतदाता सूची आपूर्त्ति की जायेगी। मतदान केन्द्रों पर टांगे जाने वाली प्रति भी बिना फोटो की होगी।

16. **मतदाता सूची की छपाई के लिए मुद्रण दर** – बिहार विधान सभा की निर्वाचक सूची और पंचायत निर्वाचन, 2021 की निर्वाचक सूची के लिए प्रत्येक पृष्ट पर अधिकतम तीस निर्वाचकों की प्रविष्टि का मुद्रण किया जाना है। दोनों सूची आपस में एक समान है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिला स्तर पर विधान सभा निर्वाचक सूची के मुद्रण के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार वित्त नियमावली, 2005 के अन्तर्गत मुद्रण दर निर्धारित किये होंगे। इसी मुद्रण दर पर पंचायत निर्वाचक सूची, 2021 का भी मुद्रण कराया जाय।

17. **मतदाता सूची की तैयारी के लिए निधि** – मतदाता सूची के तैयारी हेतु आवश्यक निधि का आवंटन पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा किया जायगा।

18. **मतदाता सूची की बिक्री** – पंचायत निकायों के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं अन्य को निर्धारित मूल्य का भुगतान करने के बाद मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियाँ दी जा सकती है। एक अभ्यर्थी को भुगतान करने पर अधिक से अधिक पाँच प्रतियाँ दी जा सकती हैं। प्रति मुद्रित पेज दो रूपये की दर से बेची जा सकती है। मतदाता सूची की बिक्री करते समय स्टॉक में उपलब्ध प्रतियों का ख्याल रखा जाए, ताकि होने वाले साधारण चुनाव एवं भविष्य में होने वाले उप चुनावों के लिए मतदाता सूची की प्रतियाँ बिल्कुल समाप्त नहीं होने पाये।

19. **मतदाता सूची की बिक्री से प्राप्ति को सरकारी खजाने में जमा किया जाना** – प्रत्येक सप्ताह मतदाता सूची की बिक्री से प्राप्त आय (Sale Proceeds) को सम्बन्धित उपयुक्त शीर्ष के अन्तर्गत सरकारी खजाने में अवश्य जमा कर दिया जाए।

20. **मतदाता सूची का अभिरक्षण एवं परिरक्षण** – पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की दो-दो प्रतियाँ सजिल्द कराकर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित कर स्थाई अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों की एवं जिला पदाधिकारी, जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची की दो-दो प्रतियाँ स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

21. **प्रखंडवार मतदाताओं की संख्या का गणना** – अंतिम रूप से प्रकाशित पंचायत की मतदाता सूची के आधार पर अपने जिलान्तर्गत पुरुष एवं महिला मतदाताओं की संख्या प्रखंड-वार तैयार कर निम्न प्रपत्र में आयोग को अन्तिम प्रकाशन के तुरत बाद निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

<u>प्रपत्र</u>

जिला का नाम -

जिलान्तर्गत मतदाताओं की कुल संख्या –

क्रमांक	प्रखंड का नाम	पुरुष मतदाताओं की संख्या	महिला मतदाताओं की संख्या	अन्य मतदाताओं की संख्या	कुल मतदाताओं की संख्या
1	2	3	4	5	6

22. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इस कार्य में संलग्न पदाधिकारियों / कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि इस कार्य को संलग्न समय सारणी के अनुसार निष्पक्षता के साथ सम्पन्न करने में पूरी तत्परता बरती जाए। यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि दोषी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

23. यह निर्देश बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 तथा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत निर्गत किया जा रहा है। यदि इस निर्देश एवं अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास या भिन्नता हो तो उस स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से आदेश प्राप्त कर लिया जायेगा।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : यथोक्त।

सचिव। 11/12/2020

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 1506 पटना, दिनांक – 11.12.2020

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव। 11/12/2020

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 1506 पटना, दिनांक – 11.12.2020

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से नियमित समीक्षा करेंगे।

सचिव। 11/12/2020

ज्ञापांक - पं.नि.30-105/2015 – 1506 पटना, दिनांक – 11.12.2020

प्रतिलिपि, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव। 11/12/2020

पंचायत निर्वाचन, 2021 हेतु मतदाता सूची की तैयारी का कार्यक्रम

(क) मतदाता सूची का वार्ड-वार विखंडन (प्रपत्र - क में)	–	14.12.2020 से 28.12.2020 तक
(ख) डाटावेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची सॉफ्ट प्रति में तैयार	–	29.12.2020 से 12.01.2021
(ग) प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण	–	13.01.2021 से 18.01.2021
(घ) मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन	–	19.01.2021 को
(ङ) प्रारूप प्रकाशन की अवधि	–	19.01.2021 से 01.02.2021
(च) प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण	–	20.01.2021 से 08.02.2021
(छ) मतदाता सूची में नयी प्रविष्टियों पर आयोग का अनुमोदन	–	14.02.2021 तक
(ज) मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन	–	19.02.2021 को
(झ) मतदाता सूची मुद्रण	–	24.02.2021 तक

11/12/2020
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार।

पंचायत निर्वाचन, 2021

प्रपत्र - क

[नियम 2 (भ) के अधीन]

मतदाता सूची विखंडन हेतु

जिला का नाम : प्रखंड का नाम :

पंचायत का नाम : पंचायत समिति प्रा.नि.क्षे.संख्या –

जिला परिषद प्रा.नि.क्षे.संख्या- *मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम –

क्रम संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	गाँव/ टोला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ भाग संख्या	विधान सभा का मतदाता क्रमांक		कुल मतदाता
				कहाँ से	कहाँ तक	
1	2	3	4	5	6	7

स्थान :

दिनांक : पंचायत सेवक/ सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी

*पंचायत आम नार्वचन, 2016 के अवसर पर आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्र

नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप

प्रपत्र-ख

[नियम 2 (भ) के अधीन]

सेवा मे,

प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

.....

महोदय,

मै ..... पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... की प्रारूप मतदाता सूची के क्रमांक पर ..... का नाम सम्मिलित किए जाने पर निम्नलिखित कारण(णों) से आक्षेप करता/करती हूँ।

.....

.....

.....

मै घोषणा करता/करती हूँ कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रकाशित प्रारूप नामावली मे मेरा नाम निम्नलिखित रूप मे सम्मिलित हुआ है --

पूरा नाम ..... पुरूष/स्त्री .....

पिता/पति/माता का नाम .....

क्रम संख्या .....

आक्षेपकर्त्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान ..... पूरा डाक पता .....

तारीख ....

की गई कारवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी ....., जो ..... का/की निवासी है, द्वारा किए गये आक्षेप को-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और ..... ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... क्रम संख्या ..... पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के नाम को निकाल दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारणो से नामंजूर कर दिया गया है।

.....

.....

स्थान : प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

तारीख ....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी ....., जो ..... का/की निवासी है, से प्रपत्र-ख में आवेदन प्राप्त हुआ है।

स्थान : प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

तारीख ....

किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आक्षेप

प्रपत्र - ग

[नियम 2 (भ) के अधीन]

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

.....

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझसे सम्बद्ध प्रविष्टि जो..... ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची .....में क्रम संख्यांक .....पर ``.....'' के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है। उसे शुद्ध कर दिया जाय जिससे वह निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाय .....

``.....

.....

.....

स्थान .....

निर्वाचक के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

तारीख .....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो .....का/की निवासी है, प्रविष्टि की शुद्धि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ ।

स्थान :

प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

तारीख .....

.....

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

प्रपत्र - घ
[नियम 2 (भ) के अधीन]
पंचायत निर्वाचन, 2021

मतदाता सूची में नाम प्रविष्ट करने हेतु प्रपत्र

आवेदक अपना फोटो यहाँ चिपकायेंगे।

प्रखंड ..... के ग्राम पंचायत ..... के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... की मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दावा

प्रा.नि.क्षे.संख्या .....

श्री/श्रीमती/सुश्री #.....

पिता/पति..... जो ग्राम पंचायत ..... के प्रा.नि.क्षे.संख्या ..... डाक घर ..... थाना ..... जिला ..... के निवासी हैं, का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दावा।

दावाकर्त्ता भारत का नागरिक है तथा दिनांक 1 जनवरी 2021 को उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है तथा उपरोक्त वार्ड में सामान्यतया $..... में 180 दिनों से अन्यून दिनों से निवास करता है। दावाकर्त्ता द्वारा किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में नाम दर्ज करने के लिए किसी अन्य पते पर दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त कथन के समर्थन में दावाकर्त्ता द्वारा निम्नांकित कागजातों की मूल/सत्यापित प्रतियाँ इस दावे के साथ समर्पित की जाती है :-

(i)

(ii)

(iii)

घोषणा

उपरोक्त विवरण सभी तरह से सही और सत्य है।

दिनांक :

दावाकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पूरा नाम अंकित करें।
$ पूर्ण पता अंकित करें।

दावा की प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पिता/पति..... जो ग्राम पंचायत ..... के प्रा.नि.क्षे.संख्या ..... डाक घर ..... जिला ..... के निवासी हैं, का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दायर दावा की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

स्थान :
तिथि :

प्राधिकृत प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर

अनुपूरक सूची के प्रपत्र का नमूना

जिला..... प्रखण्ड .....ग्राम पंचायत.....

ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या .....

(1) प्रविष्टि जो हटाई गई					
मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता का नाम	मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता का नाम	मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता का नाम
1	2	1	2	1	2

(2) वर्तमान प्रविष्टियों की शुद्धि

मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता का नाम	वर्तमान प्रविष्टि जिसे शुद्ध करना है				पढ़े-शुद्ध की गई प्रविष्टि
		मतदाता का नाम	पिता/माता/पति का नाम	पुरुष/महिला	आयु	
1	2	3	4	5	6	7

(3) धारा 126 के अधीन राज्य निर्वाचन आयुक्त के विशिष्ट आदेश से जो प्रविष्टियाँ जोड़ी गईं

जिला ..... प्रखण्ड .....ग्राम पंचायत.....

ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या .....

क्रमांक	गृह संख्या	मतदाता का नाम	पिता/माता/पति का नाम	पुरुष/महिला	आयु
1	2	3	4	5	6 7

प्रपत्र - 4

(नियम 21 के अधीन)

पंचायत आम निर्वाचन नामावली, 2021 (बिहार)

प्रा.नि.क्षे.सं. - .....

जिला :	प्रखंड :	पंचायत :	थाना :	डाकघर :	पृष्ठ संख्या

क्रमांक	विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक	निर्वाचन पहचान पत्र संख्या	क्रमांक	विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक	निर्वाचन पहचान पत्र संख्या	क्रमांक	विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक	निर्वाचन पहचान पत्र संख्या
निर्वाचक का नाम :			निर्वाचक का नाम :			निर्वाचक का नाम :		
पिता/माता/पति का नाम :			पिता/माता/पति का नाम :			पिता/माता/पति का नाम :		
गृह संख्या :			गृह संख्या :			गृह संख्या :		
उम्र : लिंग :			उम्र : लिंग :			उम्र : लिंग :		

नोट : एक पृष्ठ पर कुल 30 नाम अंकित रहेंगे।